न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 04/2023

अनवान : –

1. सतीश कुमार पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. मंगलाराम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
2. संतोष पत्नी मंगलाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
4. उप पजीयक खुंईया/नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायलान**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी **गैरसायलान**

निर्णय दिनांक: 04/03/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 540/515 की कुल 19.1270 हैक्ट भूमि सायल के दादा हरलाल के नाम है। सायल के दादा ने उक्त वाद भूमि की आमदनी से रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता संख्या 262/251 की कुल 2.8840 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 263/426 के खसरा न0 596 की 5.2650 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खसरा न0 1046 व 1100/1506 की कुल 19.1720 हैक्ट भूमि व ढाणी रायकान के खसरा न0 625 की 3.9840 हैक्ट भूमि खरीद कर अपने पुत्रों के नाम करवा दी इसके बाद गैरसायल संख्या 1 ने रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता संख्या 232/370 के ख0न0 1046 व 1100/1506 की कुल 19.1720 हैक्ट भूमि में से 3155/38344 हिस्सा व ढाणी रायकान के खसरा न0 625 की 3.9840 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि अपनी पत्नी संतोष गैरसायल संख्या 2 के नाम दर्ज करवा दी तथा रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 57/68 के ख0न0 645 की 7.2720 हैक्ट भूमि सायल की दादी गोमती पत्नी हरलाल से पुत्र पुत्रियों को प्राप्त हुई जिसमे गैरसायल संख्या 1 के 1/7 हिस्सा भूमि दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित भूमि है जिसमें सायल व गैरसाय[illegible] जन्मजात हक हिस्सा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:09 IST
Reason: SelfAttested

रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता संख्या 262/251 की कुल 2.8840 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 263/426 के खसरा न0 596 की 5.2650 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खसरा न0 1046 व

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

1100/1506 की कुल 19.1720 हैक्ट भूमि में से 3155/38344 हिस्सा भूमि व ढाणी रायकान के खाता संख्या 180/250 के खसरा न0 625 की 3.9840 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 2 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 57/68 के खसरा न0 645 की 7.2720 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 2 के नाम दर्ज है। उक्त वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि से पैदाकृता कृषि भूमि है जिसमे सायल व गैरसायल का जन्मजात हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 व 2 अकेले के नाम दर्ज होने के कारण नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है। यदि गैरसायल संख्या 1 व 2 अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः गैरसायल संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे की ताफैसला दावा उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रख

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता संख्या 262/251 की कुल 2.8840 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 263/426 की 5.2650 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 57/68 की 7.272 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के 232/370 की कुल 19.1720 हैक्ट भूमि में से 3155/38344 व ढाणी रायकान के खाता संख्या 180/250 की 3.9840 हैक्ट में से 1/4 हिस्सा भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 व 2 इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

अप्रार्थीगण स0 1 ता 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र की मदों को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया की वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की स्वयं अर्जित भूमि है तथा सायल के दादा हरलाल पुत्र रामचन्द्र वर्तमान में मौजूद है तथा वादग्रस्त भूमि उनके नाम दर्ज है। उक्त वर्णित वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 की स्वयं द्वारा अर्जित है जिसमें सायल का कोई हक व हिस्सा नही है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार है अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। वाद भूमि अप्रार्थीगण की स्वयं अर्जित सम्पति होने के कारण सायल का उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की सायल के दादा के दादालाई कृषि भूमि की आय से उक्त कृषि भूमि खरीद कर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज करवा दी अतः उक्त कृषि भूमि संयुक्त परिवार की साझा आय से अर्जित सम्पति है जिसमें सायल का भी जन्मजात हक हिस्सा है। गैरसायल संख्या 1 व 2 अकेले के नाम वाद भूमि दर्ज होने के कारण वाद भूमि को रहन व बैय करना चाहते है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:09 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की उक्त वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 की स्वयं अर्जित सम्पति है जिसमें सायल का कोई हक हिस्सा नही

है। गैरसायल संख्या 1 ने अपने द्वारा अर्जित भूमि में से अपनी पत्नी यानि की गैरसायल संख्या 2 के नाम दर्ज करवा दी उक्त वाद भूमि भी स्वयं अर्जित है। प्रार्थना पत्र मनढ़गत व न चलने योग्य होने के कारण खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि गैरसायल की स्वयं अर्जित भूमि है तथा सायल ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित हो की उक्त वाद भूमि पैतृक है या संयुक्त हिन्दु परिवार की साया आय से अर्जित सम्पति है। वर्तमान में वाद भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अतः रिकार्डेड खातेदार को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 12.01.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 04/03/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:09 IST
Reason: SelfAttested